

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३००] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर ३, १९७३/भाद्र १२, १८९५

No 300] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 3, 1973/BHADRA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August 1973

S.O. 458(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Clause (b) of Clause 2 of the Newsprint Control Order, 1962, No. CH(1)/18(1)/62 dated the 17th January, 1962, the Government of India is hereby pleased to appoint Shri A. R. Laumas, Assistant Press Registrar, Office of the Registrar of Newspapers for India, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, to exercise the powers of the Controller under that order, with immediate effect.

2. The earlier Notification No. S.O. 743(E), dated the 11th December, 1972 relating to the appointment of Shri M. V. Subrahmanyam, Deputy Press Registrar for exercising the powers of Controller under the said Newsprint Order, 1962, is hereby cancelled.

[No. 11/43/73-FT (CDN)]

K. S. NARANG, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1973

का० अ० 458 (अ).—अखबारी कागज नियन्त्रण आदेश, 1962, सं० सी० एच० (1)-18 (1)-62 दिनांक 17 जनवरी, 1962 के खण्ड 2 के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार उस आदेश के अधीन नियन्त्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए श्री ए० आर० लाउमस, सहायक प्रेस रजिस्ट्रार, भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है ।

2. उक्त अखबारी कागज आदेश, 1962 के अधीन नियन्त्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए श्री एम० वी० सुब्रह्मण्यम, उप-प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति से सम्बन्धित पूर्ववर्ती अधिसूचना सं० का० आ० 743 (ई), दिनांक 11 दिसम्बर, 1972, एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

[सं० 11/43/73-एफ० टी० (सी०डी० एन०)]

के० एस० नारंग, संयुक्त सचिव ।